CNR No. UPSN010012312023

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण)अधिनियम, भदोही–ज्ञानपुर।

उपस्थित :– (डॉ० अमित वर्मा) आई. डी.–यू.पी. 2412

दाण्डिक निगरानी संख्या –70/2023

1. पप्पू उर्फ रोजन उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र रज्जाक
2. आफताब उर्फ सोनू उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र रोजन
3. इरशाद उर्फ राजाबाबू उम्र लग० 20 वर्ष पुत्र जमाल अहमद
4. इकबाल उर्फ अकबाल उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र अली अहमद
5. जमाल अहमद उम्र लगभग 47 वर्ष पुत्र अली अहमद

निवासीगण सिंहपुर, थाना सुरियावॉ, जनपद भदोही।

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार।
2. चुरावर उर्फ मोहिउद्दीन उम्र लगभग 57 वर्ष पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी सिंहपुर, थाना सुरियावॉ, जनपद भदोही। .....विपक्षीगण
3. सद्दाम उम्र लगभग 22 वर्ष
4. अबरार उम्र लगभग 20 वर्ष

पुत्रगण रोजन

5. सोनू उम्र लगभग 28 वर्ष
6. भोनू उम्र लगभग 25 वर्ष
7. एजाज उम्र लगभग 22 वर्ष

पुत्रगण जमाल अहमद

8. युनूस उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र युसूफ
9. पिन्टू उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र अकबाल
10. अरमान उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र युनूस
11. वैश उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र युनूस
12. सकील उम्र लगभग 30 वर्ष पीरमोहम्मद

निवासीगण सिंहपुर, थाना सुरियावॉं, जनपद भदोही।

.....औपचारिक विपक्षीगण

दिनांक 25.03.2026 **निर्णय**

प्रस्तुत निगरानी फौजदारी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम भदोही ज्ञानपुर, के द्वारा परिवाद संख्या 2306/2020 चुरावर उर्फ मोहिउद्दीन बनाम पप्पू उर्फ रोजन आदि में पारित आदेश दिनांकित 16.03.2023 के विरूद्ध दाखिल किया गया है, उक्त आदेश द्वारा अवर न्यायालय ने विपक्षीगण की ओर से दाखिल परिवाद को स्वीकार करते हुए निगरानीकर्तागण को धारा 379, 452, 504 आई.पी.सी के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किया है।

मैंने निगरानीकर्तागण व उनके विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् ए.डी.जी.सी. (फौजदारी) को सुना एवं प्रश्नगत आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

निगरानीकर्तागण का निगरानी मेमो में कथन है कि अदालत मातहत का फैसला दिनांक 16.03.2023 खिलाफ वाकया व कानून है। यह कि परिवादी/विपक्षीगण ने झूठे कथन के साथ परिवाद पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण / निगरानीकर्तागण व प्रोफार्मा प्रतिवादीगण सं० 3 ता 12 दाखिल किया और तथाकथित घटना जिस बिना पर परिवाद पत्र दाखिल किया कि कोई एफ०आई०आर० सम्बन्धित थाने में नही किया, एक काल्पनिक घटना रचकर एक गलत प्रार्थनापत्र लीगल माइण्ड अप्लाई करके मौजूदा प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। यह कि परिवाद पत्र देखने से यह स्पष्ट होता है कि कथित घटना 15 व्यक्तियों द्वारा घटित की गयी है लेकिन धारा 200 जाप्ता फौजदारी के बयान में किसी भी अभियुक्तगण का नाम परिवादी द्वारा नही बताया गया। यह कि धारा 202 के जो तीन बयानात अंकित कराये गये है में साक्षीगण ने भी घटना व परिवाद पत्र के सम्बन्ध में अपना बयान अंकित कराया तथा साक्षी पी०डब्लू0–2 व पी०डब्लू0–3 ने भी घटना का समय 06:00 बजे प्रातः बताया है, जबकि साक्षी पी०डब्लू0–1 ने घटना का समय शाम 06:00 बजे का बताया, इतना ही नहीं बयान अन्तर्गत 200 जाप्ता फौजदारी में घटना का समय के बारे में कुछ भी नही बताया, उपरोक्त बयानों को देखने से घटना का समय कब हुआ यह सिद्ध नही हुआ। तीनों गवाहान पी०डब्लू0–1 लगायत पी०डब्लू०–3 वादी के लड़के, बहू घर के है। यह कि अदालत मातहत ने धारा 200 व 202 जाप्ता फौजदारी के बयानों को न तो ध्यान पूर्वक पढ़ा, न तो उसका सही अर्थ लगाया जो घटना यथाकथित एफ०आई०आर० में कही गयी, ऐसी कोई घटना मौके पर घटित नही हुयी। यह कि निगरानीकर्तागण सीधे साधे आदमी है परिवादी से निगरानीकर्तागण से जमीन के बारे में मुकदमेंबाजी हो रही है उसी वाद में दबाव बनाने की गरज से झूठा परिवाद झूठी कहानी रचकर पूरे परिवार पर झूठा मुकदमा दाखिल किया और मातहत न्यायालय ने समस्त प्रलेखीय साक्ष्यों का विधिवत् अवलोकन न करके तलबी आदेश पारित किया है। यह कि परिवाद पत्र में बयानात व कथित एफ०आई०आर० को देखने से साफ जाहिर है कि

निगरानीकर्तागण व अभियुक्तगण के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता, महज रंजिशन दीवानी वाद में नाजायज दबाव बनाने की मंशा से झूठा परिवाद पत्र दाखिल किया गया और अदालत मातहत ने बिला रिजनिंग दिये तलबी आदेश दिया। यह कि कथित काल्पनिक झूठी घटना जाहिर कर 15 व्यक्तियों को फँसाने का असफल कुचक्र किया गया है जो किसी भी दशा में स्वीकार किये जाने योग्य नही है। यह कि निगरानीकर्तागण ने कभी भी परिवादी के घर में घुसकर उसके परिवार वालो को न मारा पीटा, न मोबाईल छीनकर भागा, न 12,000/– रुपये का मोबाईल ले गये, न उसका कोई टीनशेड दीवार गिराये, न टीनशेड की बल्ली उठा ले गये, न आम, अमरूद, युकिलिप्टस, सागौन, सहजन को काटकर उठाकर ले गये, न हम निगरानीकर्तागण परिवादी की लड़की जोहरा व बहू सोनी को मना ही किया, न निगरानीकर्तागण ने गाली गुप्ता दिया, न मारने के लिए दौड़ाये, न घर में घुसकर उसकी साड़ी ब्लाउज फाड़े, सारे तथ्य गलत तौर पर परिवाद पत्र में दर्ज किये गये है उसके बावत कोई माकूल साक्ष्य परिवादी द्वारा अदालत मातहत में नही दिया गया, फिर भी अदालत मातहत ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके फैसला निजाई पारित किया है। यह कि आदेश अदालत मातहत विधि विरूद्ध है कानूनी रिजनिंग पर आधारित नहीं है। यह कि आदेश अदालत मातहत परस्पर विरोधी कथनों पर आधारित है। यह कि हरगिज निगरानीकर्तागण के खिलाफ कोई केस नही बनता, फिर भी अदालत मातहत ने आदेश निजाई पारित करके बहुत बड़ी कानूनी भूल की है। यह कि विपक्षीगण 3 लगायत 12 घर पर मौजूद नही है बाहर रहते है लेहाजा उन्हें विपक्षीगण फरीक करार दिया जाता है उनके भी फायदे के लिए निगरानी हाजा दाखिल किया जा रहा है। जरिये निगरानी निवेदन है कि अदालत मातहत से रिकार्ड तलब कर निगरानी, निगरानीकर्तागण स्वीकार कर आदेश दिनांक 16.03.2023 निरस्त करने की आज्ञा प्रदान हो, ताकि न्याय हो।

निगरानीकर्तागण की ओर से अपने कथन के समर्थन नकल आदेश दिनांकित 16.03.202, नकल परिवाद मय परिवाद में अंकित बयानों की प्रति दाखिल किया गया है। निगरानीकर्तागण द्वारा दिनांक 06.02.2026 को प्रार्थना पत्र 22–ख मय फेहरिस्त 24–ख प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि निगरानीकर्तागण व वादी प्रतिवादी न0 2 अन्तर्गत निगरानी के बीच एक किता दावा जो प्रतिवादी न० 2 चुरावर उर्फ मोहैयद्दीन ने निगरानीकर्तागण के खिलाफ अदालत सिविल जज जू०डि० भदोही के न्यायालय में दाखिल किया है जो मुकदमा न0 37 दीवानी सन् 2018 ई० चुरावर उर्फ मोहैयद्दीन बनाम रोजन उर्फ पप्पू आदि है उसी रंजीशवश नाजायज दबाव डालने हेतु मौजूदा फौजदारी का मुकदमा दाखिल किया है। यह कि निगरानी हाजा के निस्तारण में फेहरिस्त के साथ उपरोक्त दावा व जवाबदेही की सत्यप्रतिलिपि फेहरिस्त के साथ दाखिल कर रहा हूँ। यह कि फेहरिस्त के साथ दाखिल कागजात से निगरानी हाजा के

निस्तारण में मदद मिलेगी। यह कि न्याय के हित में फेहरिस्त के साथ दाखिल कागजात को पत्रावली पर लेने की कृपा करें ताकि निगरानीकर्तागण को न्याय मिल सके। अतः जरिये दरख्वास्त निवेदन है कि फेहरिस्त के साथ दाखिल कागजात को पत्रावली पर लेने की कृपा करे, ताकि न्याय हो। न्यायहित में उपरोक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए फेहरिस्त के साथ दाखिल कागजातों को पत्रावली पर लिया गया।

उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

इस स्तर पर निगरानी न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 16.03.2023 शुद्ध, वैध व औचित्यपूर्ण है तथा की गयी कार्यवाही नियमित है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 2, द्वारा अवर न्यायालय में एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमे उसके द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण एक नाजायज गोल कायम कर लाठी डण्डा से लैस होकर परिवादी के दरवाजे पर आकर परिवादी व परिवादी के घर वालो को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, मना करने पर परिवादी व परिवादी के परिवार वालो को लात मुक्का से मारने लगे, परिवादी व परिवादी के परिवार वाले अपनी जान बचाने की गरज से अपने घर में चले गये तो अभियुक्तगण घर में घुसकर परिवादी व परिवादी के परिवार वालो को लात मुक्का से मारने लगे और परिवादी के घर में रखा मोबाईल सेट जिसमें जिवो का सिम लगा था जिसका नम्बर 9313022472 कीमत 12000 रुपये को चुराकर उठा ले गये और परिवादी के मकान के उत्तर पश्चिम तरफ बना टीनशेड की दीवार को गिरा दिये और टिनशेड व बल्ली को भी जबरजस्ती उठा ले गये और इसी टिनशेड के उत्तर तरफ परिवादी द्वारा लगाये गये आम, अमरुद, यूकोलिप्टस, सागौन व सहजन क पेड़ को भी काटकर उठा ले गये जब परिवादी की लकड़ी जोहरा व परिवादी की बहू सोनी बेगम मना करने गयी तो अभियुक्तगण उन्हें भी भद्दी–भद्दी गालिया दिये। अभियुक्तगण घर में घुसकर उन्हें मारने लगे और परिवादी की बहू की साड़ी व ब्लाऊज भी फाड़ दिये, अभियुक्तगण जाते समय आइन्दा जान माल की धमकी भी दिये घटना को मुस्तकीम व गांव के अन्य बहुत से लोगो ने देखा व बीच बचाव किया। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी का मोबाईल चुराने व टिनशेड ध्वस्त किये जाने व वृक्षो को काटकर उठा ले जाने से करीब 50000/– रुपया का नुकसान हुआ। परिवादी ने घटना के पश्चात 112 नम्बर की पुलिस को सूचित किया परन्तु पुलिस नही आई तब परिवादी रिपोर्ट लिखाने थाना सुरियांवा गया, परन्तु पुलिस थाना सुरियांवा ने न तो परिवादी की रिपोर्ट लिखी और न तो मेडिकल ही कराया, तब परिवादी दूसरे दिन ज्ञानपुर आकर घटना की लिखित सूचना जरिये रजिस्ट्री पुलिस अधिक्षक महोदय भदोही को दिनांक

07.07.2020 को दिया। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अभियुक्तगण को तलब कर उन्हे दण्डित करने की कृपा करें ताकि न्याय हो। अवर न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद में परिवादी का बयान अंतर्गत धारा 200 सी.आर.पी.सी. और परिवादी साक्षीगणो का बयान अंतर्गत धारा 202 सी.आर.पी.सी. अंकित कराया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवर न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश दिनांकित 16.03.2023 को पारित करते समय यह कहा गया है कि "...दं०प्र०सं० की धारा 202 के अन्तर्गत पी डब्लू 1 जोहरा खातून एवं पी डब्लू 2 मुस्तकीम व पी डब्लू 3 के रुप में सोनी बेगम व स्वयं का बयान धारा 200 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परिक्षित साक्ष्यो से विपक्षीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला परिलक्षित हो रहा है। पत्रावली पर ऐसा भी कोई चिकित्सीय साक्ष्य नही है जिससे यह पुष्ट हो सके कि परिवादी को उस घटना में किसी प्रकार की शारीरिक चोट पहुची। इस प्रकार पत्रावली पर जो भी साक्ष्य है उसके आधार पर इस न्यायालय के मत में अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 379, 452 एवं 504 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत हो रहा है।" तथा अवर न्यायालय द्वारा उक्त पर आदेश पारित करते हुए विपक्षीगण पप्पू उर्फ रोजन, सोनू, सद्दाम, एबरार, जमाल, सोनू, भोनू, एजाज, राजाबाबू, अकबाल, युनुस, पिन्टू, अरमान, बैश व शकील निवासीगण सिंहपुर थाना सुरियांवा जनपद भदोही को धारा–379, 452 एवं 504 भा०दं० सं० के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया, आलोच्य आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी, न्यायालय में दाखिल की गई।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवर न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश दिनांकित 16.03.2023 को पारित करते समय यह कहा गया है कि "..पत्रावली पर ऐसा भी कोई चिकित्सीय साक्ष्य नही है जिससे यह पुष्ट हो सके कि परिवादी को उस घटना में किसी प्रकार की शारीरिक चोट पहुची। इस प्रकार पत्रावली पर जो भी साक्ष्य है उसके आधार पर इस न्यायालय के मत में अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 379, 452 एवं 504 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत हो रहा है।" जैसा की परिवाद में कथन किया गया था कि "...अभियुक्तगण घर में घुसकर उन्हें मारने लगे और परिवादी की बहू की साड़ी व ब्लाऊज भी फाड़ दिये.." इस सम्बन्ध में भी अवर न्यायालय द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने पर विपक्षीगण जो की प्रस्तुत निगरानी के निगरानीकर्तागण हैं को तलब नहीं किया गया है। निगरानीकर्तागण द्वारा अपने निगरानी के साथ ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया है जिससे यह परिलक्षित हो सके की परिवाद में कथित घटना कारित नहीं हुई है। जैसा निगरानीकर्तागण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 22–ख में कथन किया गया है कि "निगरानीकर्तागण व वादी प्रतिवादी न0 2 अन्तर्गत निगरानी के बीच एक किता

दावा जो प्रतिवादी न० 2 चुरावर उर्फ मोहैयद्दीन ने निगरानीकर्तागण के खिलाफ अदालत सिविल जज जू०डि० भदोही के न्यायालय में दाखिल किया है जो मुकदमा न0 37 दीवानी सन् 2018 ई० चुरावर उर्फ मोहैयद्दीन बनाम रोजन उर्फ पप्पू आदि है उसी रंजीशवश नाजायज दबाव डालने हेतु मौजूदा फौजदारी का मुकदमा दाखिल किया है" यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त कथित वाद दीवानी प्रकृति का वाद है जो की सन् 2018 में निगरानीकर्तागण द्वारा विपक्षी संख्या 2, के विरुद्ध डाला गया था और प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 06–07–2020 की मार पीट, चोरी और जबरन घर में घुसने की है । अतः उपरोक्त के दृष्टिगत अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 16.03.2023 में ऐसी कोई विधिक त्रुटि, अवैधता अथवा अनियमितता प्रतीत नहीं होती कि उक्त आदेश को निरस्त किया जाये। अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 16.03.2023 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों की दशा में निगरानीकर्तागण के द्वारा दाखिल निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्तागण की निगरानी खारिज की जाती है ।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 16.03.2023 की पुष्टि की जाती है।

निगरानीकर्तागण को यह आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि को अवर न्यायालय में उपस्थित होना सुनिचित करें।

आदेश की प्रति, मय मूल पत्रावली अवर न्यायालय को प्रति प्रेषित जाये।

इस न्यायालय की पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(डॉ० अमित वर्मा)
आई. डी.–यू.पी. 2412
दिनांक 25.03.2026 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.) एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(डॉ० अमित वर्मा)
आई. डी.–यू.पी. 2412
दिनांक 25.03.2026 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.) एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by Amit Verma
Date: 2026.03.31 15:19:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court